राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जिला झुंझुनूं (राजस्थान)

(पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती सुप्रिया आर. ए. एस.)

मुकदमा नं. :– 34 / 2022 निर्णय दिनांक : 06.07.2023

युसुफ वगै0 बनाम इन्द्रपाल वगै0

1. युसुफ पुत्र आमीन जाति इलाही मुसलमान निवासी इलाहियों की मस्जिद वार्ड नं. 49, कस्बा झुंझुनूं तहसील व जिला झुन्झुनू।
2. मो. रफीक पुत्र आमीन जाति इलाही मुसलमान निवासी इलाहियों की मस्जिद वार्ड नं. 49, कस्बा झुंझुनूं तहसील व जिला झुन्झुनू।
3. लियाकत पुत्र आमीन जाति इलाही मुसलमान निवासी इलाहियों की मस्जिद वार्ड नं. 49, कस्बा झुंझुनूं तहसील व जिला झुन्झुनू।
4. शोकत पुत्र आमीन जाति इलाही मुसलमान निवासी इलाहियों की मस्जिद वार्ड नं. 49, कस्बा झुंझुनूं तहसील व जिला झुन्झुनू।
5. बाबु अली पुत्र आमीन जाति इलाही मुसलमान निवासी इलाहियों की मस्जिद वार्ड नं. 49, कस्बा झुंझुनूं तहसील व जिला झुन्झुनू।

——– वादी

बनाम

1. इन्द्रपाल पुत्र मनीराम जाति माली निवासी वार्ड नं. 40, झुंझुनूं तहसील व जिला झुन्झुनू।
2. ओमप्रकाश पुत्र मनीराम जाति माली निवासी वार्ड नं. 40, झुंझुनूं तहसील व जिला झुन्झुनू।
3. प्रेम प्रकाश पुत्र मनीराम जाति माली निवासी वार्ड नं. 40, झुंझुनूं तहसील व जिला झुन्झुनू।
4. भंवरलाल पुत्र मनीराम जाति माली निवासी वार्ड नं. 40, झुंझुनूं तहसील व जिला झुन्झुनू।
5. भंवरी देवी पुत्री हरिराम जाति माली निवासी वार्ड नं. 40, झुंझुनूं तहसील व जिला झुंझुनूं।
6. भागीरथ पुत्र हरिराम जाति माली निवासी वार्ड नं. 40, झुंझुनूं तहसील व जिला झुंझुनूं।
7. विश्वनाथ पुत्र हरिराम जाति माली निवासी वार्ड नं. 40, झुंझुनूं तहसील व जिला झुंझुनूं।
8. सुल्तान पुत्र हरिराम जाति माली निवासी वार्ड नं. 40, झुंझुनूं तहसील व जिला झुंझुनूं।
9. विरेन्द्र सिंह पुत्र मदन सिंह जाति माली निवासी वार्ड नं. 40, झुंझुनूं।
10. महबूब अली पुत्र स्व. आमीन जाति इलाही निवासी वार्ड नं. 40, झुंझुनूं।

Scanned with OKEN Scanner

11. मुबारिक पुत्र स्व. आमीन जाति इलाही निवासी वार्ड नं. 40, झुंझुनूं।
12. मैमना पुत्री स्व. आमीन जाति इलाही निवासी वार्ड नं. 40, झुंझुनूं।
13. लतीफ पुत्र स्व. अब्दुल जबार जाति इलाही निवासी वार्ड नं. 44, झुंझुनूं।
14. जमीला पुत्री स्व. अब्दुल जबार जाति इलाही निवासी वार्ड नं. 44, झुंझुनूं।
15. रसीद पुत्र चांद जाति इलाही मुसलमान निवासी वार्ड नं. 44, झुंझुनूं।
16. उम्मेद पुत्र चांद जाति इलाही मुसलमान निवासी वार्ड नं. 44, झुंझुनूं।
17. रूकसाना पुत्री चांद जाति इलाही मुसलमान निवासी वार्ड नं. 44, झुंझुनूं।
18. बतुल पुत्री चांद जाति इलाही मुसलमान निवासी वार्ड नं. 44, झुंझुनूं।
19. खेरू पत्नि छंगु जाति इलाही मुसलमान निवासी वार्ड नं. 44, झुंझुनूं।
20. खालिद पुत्र छंगु जाति इलाही मुसलमान निवासी वार्ड नं. 44, झुंझुनूं।
21. सकीला पुत्री छंगु जाति इलाही मुसलमान निवासी वार्ड नं. 44, झुंझुनूं।
22. मुस्कान पुत्री स्व. नबाब जाति इलाही मुसलमान निवासी वार्ड नं. 44, झुंझुनूं।
23. साहिल पुत्र स्व. नबाब जाति इलाही मुसलमान निवासी वार्ड नं. 44, झुंझुनूं।
24. रिहान पुत्र स्व. नबाब जाति इलाही मुसलमान निवासी वार्ड नं. 44, झुंझुनूं।
25. फरीद पुत्र अकबर जाति इलाही मुसलमान निवासी वार्ड नं. 44, झुंझुनूं
26. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार झुन्झुनु तहसील व जिला झुन्झुनू।

——— प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणार्थ एवं स्थाई निषेधाज्ञा

वादी की ओर से एक वाद पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि ग्राम/कस्बा झुंझुनूं की सरहद में स्थित गत भूमि खसरा नं. 1347 रकबा 13 बिघा 10 बिश्वा स्थित है, जिसके हाल खसरा नं. 2213 रकबा 1.96 है0 व खसरा नं. 2214 रकबा 1.45 है0 कुल किता 2 का कुल रकबा 3.41 है0 है जिसको वाद–पत्र में विवादित भूमि से संबोधित किया गया है। उक्त भूमि को प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 के दादा रामकुमार ने अपने जीवनकाल में वादीगण 1 लगायत 5 तथा प्रतिवादी संख्या 10 लगायत 25 के दादा अकबर पुत्र गनी शेख को गत खसरा नं. 1347 रकबा 13 बिघा 10 बिश्वा में से 6 बिघा 9 बिश्वा कृषि भूमि का दिनांक 01.02.1965 को बेचाननामा तस्दीक करवा कर कब्जा क्रेता अकबर पुत्र गनी शेख को करवा दिया था। उक्त भूमि पर वादीगण 1 लगायत 5 तथा प्रतिवादी संख्या 10 लगायत 25 जो कि क्रेता अकबर के वारिसान हैं, काबिज काश्त हैं। वादीगण ने प्रधान मत्री किसान सम्मान निधी के तहत लाभ लेने हेतु आवेदन करने के लिए पटवारी हल्का से जमाबंदी की नकल प्राप्त करने पर पता चला कि उक्त भूमि वर्तमान में भी राजस्व रिकॉर्ड में विक्रेता के नाम ही दर्ज है। जब विक्रय पत्र की प्रति पटवारी हल्का को नामान्तरकरण हेतु दी गई तब

Scanned with OKEN Scanner

...री ने विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तरकरण करने से मना कर दिया तथा सक्षम ...यालय में वाद दायर हेतु कहा।

उपरोक्तानुसार वाद दायर होने पर वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी गण 6 लगायत 25 की ओर से जरिये वकील इकबाली जबाब दावा पेश किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रकरण में वर्तमान मौका स्थिति व कब्जा काश्त की रिपोर्ट तहसीलदार झुंझुनूं से ली गई। तहसीलदार झुंझुनूं ने अपनी रिपोर्ट पत्र क्रमांक 136 दिनांक 13.01.2023, पत्र क्रमांक 399 दिनांक 13.02.2023 द्वारा प्रस्तुत की गई। वादी ने अपना चीफ का शपथ पत्र साक्ष्य में प्रस्तुत किया। पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात हुआ कि मौके पर वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में विक्रय पत्र में विक्रित भूमि से कम भूमि ही दर्ज है। इस हेतु वादीगण ने अपना शपथ पत्र पेश किया कि वर्तमान में विक्रेतागण के वारिसान के हिस्से में जितनी भूमि दर्ज रिकॉर्ड है हमें उतनी ही भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाये तो हमें कोई आपत्ती नहीं है।

वादी की ओर से अधिवक्ता श्री विरेन्द्र सीगड़ एडवोकेट उपस्थित। प्रतिवादी सरकार की ओर से राजकीय अधिवक्ता श्री श्रवण सैनी उपस्थित। दिनांक 19.06.2023 को प्रार्थना पत्र शिघ्र सुनवाई का प्रस्तुत करने पर पत्रावली सीगे से तलब कर पेशी में ली जाकर वकील बहस सुनी गई। बाद अवलोकन पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेज एवं बगौर मनन बहस अधिवक्ता वाद वादीगण सिद्ध होने पर स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। लिहाजा :–

–: निर्णय :–

वाद वादी सिद्ध होने पर अंतिम रूप से डिक्री किया जाता है कि राजस्व ग्राम/कस्बा झुंझुनूं की सरहद में स्थिति भूमि खसरा नं. गत 1347 रकबा 13 बिघा 10 बिश्वा, जिसके हाल खसरा नं. 2213 रकबा 1.96 है0 व खसरा नं. 2214 रकबा 1.45 है0 कुल किता 2 का कुल रकबा 3.41 है0 में विक्रेता के वारिसान प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 के हिस्से 603/1705 के स्थान पर वादीगण 1 लगायत 5 एवं प्रतिवादी संख्या 10 लगायत 25 जो कि क्रेता अकबर के वारिसान हैं को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करें। निर्णयानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करने हेतु तहसीलदार झुंझुनूं को तहरीर जारी हो। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 06.07.2023 को खुले इजलास सुनाया गया।

(सुप्रिया)
उपखण्ड अधिकारी, झुंझुनूं

Scanned with OKEN Scanner